न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 66/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. श्यामसुन्दर प्राकृतिक पिता परमेश्वर दास गोदपुत्र केवलदास उर्फ केवलराम, जाति– ब्राहमण साद, निवासी–9/156, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।		1 श्रीमति सुगना पुत्री श्री केवलदास उर्फ केवलराम, ब्राहमण साद, पत्नी श्री मूलदास, जाति वैष्णव, निवासी– 178 मैन देवी रोड चान्दणा भाकर मसुरिया, जोधपुर हाल निवासी–पानी की टंकी के पास, भट्टी की बावडी, चौपासनी रोड,जिला जोधपुर। 2 श्री केवलदास उर्फ केवलराम, पुत्र स्व. श्री हनुमानदास, जाति ब्राहमण साद, निवासी–गांव गोलावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। (अपील विचारण के दौरान नाम डिलीट) 3 सरपंच ग्राम पंचायत, लूणावास कला, तहसील–लूणी, जिला जोधपुर। 4 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, लूणी जिला जोधपुर। 5 पटवारी, पटवार हल्का लूणावास कला तहसील लूणी जिला जोधपुर।

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.12.2016 पारित द्वारा उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा अपील संख्या 34/2014 बअनवान श्रीमति सुगना बनाम श्यामसुन्दर वगैरा में पारित किया गया।

निर्णय

दिनांक: 07 अक्टूबर, 2022

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि रेस्पोन्डेन्ट श्रीमति सुगना ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर पंजीकृत बेचान दस्तावेज के अनुसार अपीलान्ट श्यामसुन्दर के हक में ग्राम पंचायत लुणावास कला के द्वारा स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 355 को चुनौति दी। रेस्पोन्डेन्ट सं0 01 ने प्रथम अपील में मुख्य आधार यह लिया कि अपील में दिनांक 17.01.2014 को माननीय उच्च न्यायालय को "स्टेटस को" का आदेश होने के बावजूद अपीलान्ट के हक में नामा0 स्वीकृत कर दिया गया। प्रथम अपील न्यायालय ने प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए दिनांक 21.12.2016 को अपीलान्ट श्यामसुन्दर के पक्ष स्वीकृत म्यूटेशन संख्या 355 को खारिज कर दिया। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि प्रथम अपील न्यायालय ने दिनांक 21.12.2016 को आलौच्य आदेश पारित करने में भारी वाक्याती व कानूनी भूल की है तथा आलौच्य आदेश पूर्णतया तथ्यो से विपरित

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

जाकर पारित किया गया है क्योंकि प्रथम अपील न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारान् की विधिक स्थिति पर गौर ही नहीं फरमाया। अपीलाधीन म्यूटेशन को ग्राम पंचायत, लूणावास कला द्वारा विधिवत तरीके से विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए स्वीकृत किया गया था। जबकि ग्राम पंचायत, लूणावास कला को प्रथम अपील में पक्षकार ही नही बनाया गया, मात्र सरपंच को पक्षकार बनाया गया। जबकि सरपंच ने व्यक्तिगत रूप से उक्त म्यूटेशन स्वीकृत नहीं किया था। ऐसे में ग्राम पंचायत को अपील पक्षकार नहीं होने से कानूनन व आवश्यक पक्षकार के अभाव में अपील पोषणीय नहीं थी। जिस तथ्य पर गौर नहीं कर अपीलीय न्यायालय ने भारी त्रुटी की है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि किसी मामले में जब तक आवश्यक एवं प्रभावी पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया जाता, तो कोई भी प्रक्रिया या उससे संबधित आदेश का कानूनी तौर पर कोई औचित्य नहीं रहता है। यानि ऐसा आदेश विधि विरूद्व एवं त्रुटिपूर्ण, अधिकार विहिन आदेश है, जिसे कानूनन कभी भी चुनौती दी जा सकती है, उसके लिये कोई मियाद भी लागू नहीं होती है। फिर भी अपीलान्ट के द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी में आने से यह द्वितीय अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलान्ट के पक्ष मे दिनांक 16.01.2014 को ही नामा0 स्वीकृति की प्रकिया अमल मे लाई जा चुकी थी जो स्वीकृत म्यूटेशन पर हल्का पटवारी की लिखित इबारत से स्वतः ही प्रमाणित है। माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 17.01.2014 सर्वप्रथम तो एक पक्षीय स्टेटस को का आदेश था, दूसरा उस आदेश की जानकारी न तो अपीलान्ट को न ग्राम पंचायत, पटवारी व तहसीलदार को थी, आदेश नामा0 स्वीकृति के बाद रेस्पोन्डेन्ट सुगना द्वारा पेश किया गया ऐसे में म्यूटेशन प्रक्रिया के खोले जाने के समय यह आदेश न तो प्रभावी था और न ही जानकारी में था। ऐसे में इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाकर अपीलीय न्यायालय ने भारी भूल करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया जो कि काबिले अपास्त है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि माननीय उच्च न्यायालय का एक पक्षीय आदेश वैसे भी नामा0 संख्या 355 पर प्रत्यक्ष प्रभावी नहीं था क्योंकि अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत नामा0 एक पंजीकृत बेचाननामे के आधार पर स्वीकृत हुआ था, वो बेचाननामा आज भी विधिमान्य अस्तित्व में है। अपीलान्ट के पक्ष में जो बेचाननामा दिनांक 15.04.2013 को पंजीबद्व हुआ, वह रजिस्ट्रेशन अधि0 के तहत विधिवत पंजीकृत दस्तावेज है, जो कानूनन वैधानिक दस्तावेज है, यानि जब तक किसी सिविल न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया के तहत ऐसे दस्तावेज को निरस्त घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक उसकी वैधानिकता पर शक नहीं किया जा सकता। मात्र किसी व्यक्ति के झुठे एवं मनगढत आधारो पर अपने मतलब के खातिर कोर्ट मे चुनौती दे दिये जाने मात्र से उसकी वैधानिकता पर प्रभाव तथा जिसके हक मे निष्पादित हुआ है, उसके स्वामित्व के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे में इन तथ्यों पर गौर नहीं कर अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश तो

पंचायत पक्षकार ही नहीं है। बेचाननामे के आधार पर ग्राम पंचायत में नामा0 दिनांक 16.01.2014 को दर्ज किया जा चुका था। ग्राम पंचायत, कौरम द्वारा मात्र इस संदर्भ में प्रस्ताव लिया जाना ही शेष था। इन परिस्थितियों में दिनांक 17.01.2014 के स्टेटस को का आदेश पारित करने के पूर्व ही अपीलान्ट के नाम म्यूटेशन दर्ज हो चुका था। इसके अतिरिक्त राजस्व अपील में पटवारी हल्का एवं तहसीलदार कतई मुकदमा पक्षकार नहीं होते है, जबकि हस्तगत मामलें में रेस्पो0 सं0 01 ने उन्हे मुकदमा पक्षकार बनाकर आदेश 01 नियम 09 के कानूनी प्रावधानों का उल्लघंन किया है। अपीलान्ट को अपील एवं दस्तावेजों कि प्रतियां तक उपलब्ध ही नहीं करवाई गई एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता हाजिर नहीं होने के बावजूद उनकी काल्पनिक उपस्थिति दर्शाकर गलत आदेश पारित फरमाया, जो काबिले अपास्त है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं0 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 का विधिवत तरीके से निस्तारण किये बिना उनके संलग्न दस्तावेज को रिकार्ड पर लेते हुए उसके बारे में व्याख्या करके हुए आलौच्य आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पो. सं. 01 ने जो अपने पक्ष में वसीयतनामा दस्तावेज पेश किया है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि रेस्पो0 संख्या एक अपीलान्ट के पंजीकृत दस्तावेज से हासिल उसकी स्वामित्व वाली भूमि हथियाने की पूर्ण मंशा रखती है जबकि अपीलान्ट श्यामसुन्दर श्री स्व0 केवलदास उर्फ केवलराम का वैधानिक तरीके (पंजीकृत गोदनामा) से गोद पुत्र होने के साथ–साथ ख0नं0 19 की निश्चित चिन्हित अडौस–पडौस के विगत की कब्जा काश्त भूमि जो रकबा 26 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वासी है, पर प्रारम्भ से ही काबिज काश्त करता आ रहा है, परन्तु रेस्पो0 सं0 एक ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को छुपाकर केवलदास जी की समस्त सम्मिलित खातेदारी खेत खसरा नम्बर 19, 106, 109 एवं 129 को विवादित बताकर उसमें केवलदास का हिस्सा सम्मिलित बताते हुए अधिनस्थ न्यायालय को गुमराह किया है। स्वयं रेस्पो. सं. 01 द्वारा पूर्व में अपने पिता केवलदास से धोखे से भूमि हडपने के लिये करवाये गये पंजीकृत वसीयतनामा में भी विशेषतः खसरा नम्बर 19 की भूमि पर ही केवलदास को काबिज मानते हुए उनको हिस्सा अपने पक्ष में लिखवाया था। यह अलग बात है कि रेस्पो. सं. 01 का बाद में वह राज खुलने पर उस वसीयतनामें को स्वयं रेस्पो. सं. 01 की सहमति से निरस्त करवाना पडा और अपीलान्ट के हक में खसरा नम्बर 19 की निश्चित चिन्हित अडौस पडौस के विगत की भूमि जिसका की वह केवलदास उर्फ केवलराम का गोदपुत्र होने से भी मालिकाना हक था ही परन्तु केवलदास द्वारा परिस्थितियों और रेस्पो. सं. 01 की बदनियति को भापकर अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत बेचाननामा निष्पादित कर विधिवत तरीके से बेचान हस्तांतरण की गई और कब्जा अपीलान्ट को सुपूर्द किया गया। ऐसी स्थिती में नामा0 की फिस्कल प्रक्रिया के बावजूद विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा व काश्त कानून विध्यमान है जिसे झुठलाया नही जा सकता। ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्रथम अपील संख्या 21/2014 के

प्रकरण में ग्राम पंचायत मुकदमा पक्षकार नहीं थी। ऐसे में बिना मुकदमा पक्षकार के स्थगन आदेश की कियान्विती व प्रभाव के लिये वह कतई पाबन्द नहीं था। यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि जो व्यक्ति मुकदमा पक्षकार होते है, उन्ही तक स्थगन आदेश बाउण्डेड रहता है। रेस्पो0 सुगना की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 का पेश किया गया, वह आज भी बिना किसी निस्तारण के पेण्डिंग है जबकि प्रार्थना पत्र कानूनन स्वीकार व अस्वीकार के रूप में निस्तारित किये जाने के पश्चात ही अपील का अन्तिम निर्णय किया जाना था परन्तु हस्तगत मामले में ऐसा नहीं कर अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी लापरवाही की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपील का निस्तारण करने के समय मूल रिकार्ड पूर्व में तलब तो किया, परन्तु अन्तिम निस्तारण के समय तक मूल रिकार्ड आया ही नही था। रिकार्ड के अभाव में अधिनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित कराया है, जो कानूनी रूप से कतई विधि सम्मत नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2016 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युत्तर में रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संलग्न म्याद अधि0 प्रार्थना पत्र के पैरा सं. एक में अंकित कथन विधि विरूद्व होने से अस्वीकार है। आलौच्य निर्णय दिनांक 21.12.2016 को पारित किया गया था एवं अपील अपीलान्ट द्वारा करीबन ढाई वर्ष पश्चात पेश की है, जिसमें देरी बाबत दिन प्रतिदिन की देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया गया जिससे मनगढन्त आधारों पर आधारित होने से अमान्य होकर निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के तथ्य वास्तविकता के परे होने से अस्वीकार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील पेश होने के बाद नोटिस मय नकलो के जारी किये गये, उन्हे नकल नहीं मिलना गलत अंकित किया गया, उन्हें नकले नहीं मिली तो नियत दिनांक को उपस्थित होकर नकल प्राप्त कर सकते थे, अगर एक बार तामील होने के बाद अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थित होने के बाद उन्हे नकले नहीं मिली तो एतराज कर प्राप्त कर सकते थे, आगामी पेशी पर अधिवक्ता उपस्थित होने पर स्वयं अपीलान्ट को आना चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं किया, न ही कोई प्रमाण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिससे यही साबित होता हैकि अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता जानबूझ कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं रहे। यह कथन झूठे अंकित किया गया कि रेस्पो0 सं0 एक से अपीलान्ट से कोई बोलचाल ही नहीं है।

वादग्रस्त भूमि उत्तरदाता के नाम अंकित नही हुई है, बल्कि नामा0 संख्या 355 को पारित करने से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश पारित किये गये है। जैर अपील में यह साफ निर्देश दिये गये है कि मान. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2014 को ही स्टेटस को का आदेश पारित कर दिया था, स्थगन आदेश के बावजूद दिनांक 16.01.14 को म्यूटेशन भरा गया एवं दिनांक 21.01.14 को नामा0 सं0 355 को सरपंच द्वारा स्वीकार कर दिया गया, जिससे मान0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के विरूद्व स्वीकृत कर देने से उसे अपास्त किया, इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के आदेश कोई त्रुटि नहीं की जाना पाया जाता है। अपीलान्ट के द्वारा अपील में जो कथन अंकित किये

उसके समर्थन में पटवारी हल्का या अन्य किसी का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है। उत्तरदाता कभी पटवारी हल्का से नहीं मिली है पटवारी हल्का का ना तो नाम अंकित किया गया है ना ही मिलने का समय तारीख का उल्लेख किया गया है। अपीलान्ट को निर्णय जैर अपील की जानकारी किस तारीख को हुई, अंकित नहीं है जबकि नामा0 सं0 355 के विरूद्व रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा दिनांक 8.09.2014 को प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दी थी तथा निर्णय दिनांक 21.12.2016 को पारित किया गया था। जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा दो साल पांच माह के पश्चात द्वितीय अपील पेश कराने में असाधारण देरी को क्षमा किये जाने योग्य कोई उचित कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः द्वितीय अपील खारिज होने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में साफ अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि के बाबत मान0 उच्च न्यायालय एवं सक्षम सिविल कोर्ट में वाद पेण्डिग चल रहा है, उसमें अन्तिम निर्णय के अनुसार दोनों पक्ष बाध्य होंगे, ऐसा निर्देशन निर्णय मे अंकित कर आदेश पारित किये गये है। अपर सिविल न्यायालय (व0ख0 स. 4)महानगर, जोधपुर में विचाराधीन मूल वाद सं0 58/2013 अनवान श्रीमति सुगना बनाम श्यामसुन्दर व अन्य में पारित आदेशिका दिनांक 09.12.2016 की प्रमाणित प्रति उत्तरदाता की तरफ से अलग से प्रार्थना पत्र ओर्डर 41 रूल 27 सपठित धारा 151 के साथ प्रदर्श-2 प्रस्तुत की, का अवलोकन फरमावें जिसमें साफ अंकित है कि मान0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है एवं दो अलग-अलग वादग्रस्त भूमि के वाद पेश किये उनको कन्सोलिडेटेट करते हुए सुनवाई हेतु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महानगर संख्या 4 जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत हुए है। ऐसी हालत में वादग्रस्त भूमि को बेचान करने आदि के तथ्य गलत अंकित किये है।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। विवादग्रस्त भूमि का विकय पत्र फर्जी रूप से निष्पादित करवाया जिसके बाबत सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत है। उत्तरदाता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 27 सपठित धारा 151 के साथ प्रदर्श 1 से 5 तक प्रस्तुत किये उसमें फार्म संख्या 3 में अंकित नम्बर 9 पर अंकित दस्तावेज अपर सिविल न्यायाधीश (व0ख0 महानगर संख्या 4) जोधपुर के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपील संख्या 34/2014 में पारित निर्णय दिनांक 21.12.2016 की प्रति दिनांक 04.07.2017 को ही पेश कर दी थी।

अपीलान्ट उक्त वाद में प्रतिवादी है, को एवं उनके अधिवक्ता को दिनांक 04.07.17 को जानकारी हो गई थी, उक्त सिविल कोर्ट में उत्तरदाता श्रीमति सुगना का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में पेश किया जिसकी नकल अपीलान्ट के अधिवक्ता को प्रदान की थी, ऐसे में निर्णय अपील के बाबत जानकारी हो गई थी, अपीलार्थी ने जानबूझकर सही तथ्यों को छिपाते एवं प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित कर, बेबूनियाद मिथ्या एवं मनगढन्त आधारों पर होने के कारण से यह अपील मयाद के बिन्दू पर निरस्त करने योग्य है। उक्त निम्नांकित दस्तावेजात सुसंगत दस्तावेजात है, जिनको रेकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में जरूरी एवं आवश्यक है, जिनसे यह साबित होगा कि अपीलान्ट को

...माननीय आयुक्त

अपीलाधीन निर्णय की शुरू से जानकारी होते हुए यह द्वितीय अपील काफी सालों बाद पेश करने से मयाद के बिन्दू पर निरस्त योग्य रहती है।

रेस्पो0 सं0 एक के अधिवक्ता द्वारा निम्न दस्तावेजात अवलोकन हेतु प्रस्तुत किये है, जो निम्नानुसार है:—

1. मान0 उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 21/2014 में पारित स्थगन आदेश 17.01.2014 की प्रमाणित प्रति जो मूल वाद में प्रर्दश —13 वक्त साक्ष्य एग्जीबिट की गयी थी।
2. मान0 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश जोधपुर महानगर द्वारा पारित आदेशिका दिनांक 16.12.2013 से सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेशिका दिनांक 09.12.2016 तक।
3. न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश व0ख0 द्वितीय, महानगर, संख्या 4 जोधपुर में कुछ दस्तावेजात फार्म नम्बर 3 में अंकित कर दिनांक 04.07.2017 को पेश किये, जिनका विवरण अंकित है। एक फार्म नं0 3 की प्रमाणित प्रति दिनांक 01.07.17 तक एक।
4. यह है कि विचाराधीन वाद मे अधिनस्थ न्यायालय लूणी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2016 पेश किया।
5. माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या 4 जोधपुर महानगर के समक्ष श्रीमति सुगना का साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यूडी—1 जिस पर जिरह अपीलान्ट के अधिवक्ता सहित साक्ष्य शपथपत्र।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने पुनः यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सुगना ने गलत तथ्य अंकित कर न्यायालय हाजा को गुमराह करने का प्रयास किया है वादग्रस्त भूमि बाबत म्युटेशन संख्या 355 की कार्यवाही वैधानिक रूप से प्रारम्भ होने एवं अमल दरामदगी की कार्यवाही किये जाने तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रथम अपील संख्या 21/2014 में कोई स्थगन आदेश प्रभावी नही था अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के बाद प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट की ओर से न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य रखते हुए और न्यायालय के उक्त स्थगन आदेश की गलत व्याख्या करवाते हुए नामा0 संख्या 355 को गलत तरीके से खारिज किया गया है जिसे अपीलान्ट अपने वैधानिक अधिकारों के विधिवत जानकारी में आते ही चुनौती दे रखी है। रेस्पो0 संख्या एक द्वारा जो दस्तावेज पेश किये है वह आदेश 41 नियम 27 की परिधि में पेश किये जाने योग्य दस्तावेज नहीं है। वैसे भी माननीय न्यायालय को दीवानी अपील न्यायालय के अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि राजस्व अपील न्यायालय को रेवेन्यू नियमों के तहत प्रदत्त अधिकार में ही हस्तगत अपील का विधिवत निस्तारण किया जाना है ऐसे में जो दस्तावेज रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश किये जा रहे है वे इस अपीलीय न्यायालय में न तो रेस्पोन्डेन्ट पेश करने की अधिकारिणी है और ना ही हस्तगत अपील का उक्त दस्तावेंजो को रेकर्ड पर लेकर उनका आधार लेकर निस्तारण ही किया जा सकता है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पो0 सं0 एक द्वारा अवश्य पेश किया गया है वो दस्तावेज इस प्रार्थना पत्र की गर्भ में पेश किये जा रहे है और वे इस अपील के लिए कतई सुसंगत दस्तावेज नहीं है माननीय न्यायालय की राजस्व अपील का क्षेत्राधिकार सिमित होता है ऐसे में जो दस्तावेज पेश किये जा रहे है वे पक्षकारों के मध्य सिविल चाराजोही का पार्ट है जो हस्तगत मामले की विषय वस्तु के निस्तारण में सहायक नहीं है। विवादग्रस्त भूमि के बाबत विक्रय पत्र के सन्दर्भ में सक्षम न्यायालय में जब वाद विचाराधीन

के दस्तावेज इस अपीलीय न्यायालय के समक्ष लम्बित अपील में है वे दस्तावेज किस तरीके से सुसंगत दस्तावेज है जबकि ये विधि की स्पष्ट धारणा है कि अपीलीय न्यायालय से सक्षम सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वाईड है। न्यायालय हाजा को मात्र अपीलीय आदेश में किस तरीके से व क्या वैधानिक त्रुटी रही है या किन तथ्यों के असमावेश के कारण निर्णय विधि विरूद्व पारित हुआ है का ही अवलोकन करना है। किसी भी मूल वाद या अन्य न्यायालय के आदेशो का विश्लेषण करने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है ऐसे में प्रस्तुत दस्तावेज अपील के निस्तारण में कतई आवश्यक नहीं है तथा इन दस्तावेजों के बारे में माननीय न्यायालय अपनी कोई भी वैधानिक राय व्यक्त करने की कानूनन अधिकारिता नही रखता है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि पक्षकारों के मध्य अन्य न्यायालयों में विचाराधीन कार्यवाही को अपील में सम्मिलित नही किया जा सकता क्योकि न्यायालय हाजा को धारा 76 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक सीमित दायरे में आलोच्य आदेश दिनांक 21.12.16 की वैधानिक व्याख्या करनी है ऐसे मे हस्तगत जैर अपील के बाबत रेस्पोन्डेन्ट की ओर से पेश किये गये दस्तावेज पत्रावली के डी पार्ट में रखे जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि आदेश 41 नियम 27 का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाते हुए उल्लेखित दस्तावेज को पत्रावली के डी पार्ट में रखते हुए अपील का विधि अनुसार मैरिट पर निस्तारण फरमावें। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज पेश किये गये यथा–वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 04 जोधपुर महानगर के मूल दाण्डिक प्रकरण संख्या 01/2021 अनवान श्रीमती सुगना बनाम श्यामसुन्दर निर्णय दिनांक 4.10.2021 एवं अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 जोधपुर महानगर के दीवानी अपील आदेश संख्या 13/2021 अनवान श्रीमती सुगना बनाम श्यामसुन्दर निर्णय दिनांक 28.8.2022

हमने पक्षकारान अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों, अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली इत्यादि का गहनता से विश्लेषण व विवेचन किया गया जिससे यह पाया गया है कि ग्राम पंचायत लूणावास कला द्वारा नामा0 संख्या 355 दिनांक 21.01.2014 को पारित किया जाना नामा0 की मूल प्रति के अवलोकन से स्पष्ट प्रकट होता है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एसबी सिविल प्रथम अपील संख 21/2014 में दिनांक 17.1.2014 को जारी आदेश में अपील में वर्णित सम्पति के सम्बन्ध में यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है। इससे यह परिलक्षित होता है कि नामा0 संख्या 355 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश होने के पश्चात स्वीकृत किया गया है जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 21/2014 दिनांक 15.02.2016 को निर्णित की जा चुकी है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के यथास्थिति आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन नामा0 संख्या 355 को निरस्त करने बाबत पारित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते है जिससे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन/विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2016 को यथावत जाता है। अपीलान्ट माननीय सिविल न्यायालय के निर्देशानुसार नामान्तरकरण सम्बन्धी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। यह अपील निर्णय माननीय सिविल न्यायालय के अन्तरिम/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगा। निर्णय आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ० पी० विश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर